न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 11/2017 शस्त्र अधिनियम
GCMS No. 2017/00206

अनवानी :— कुलविंद्र सिंह पुत्र श्री जसबीर सिंह जाति जट सिक्ख निवासी 3 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलान्ट

——बनाम——

राजस्थान सरकार।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री ज्ञानसिंह — अभिभाषक अपीलांट

श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ — अभियोजन अधिकारी राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 21.05.2024

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 19.06.2017, जिसके द्वारा अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु किये गये आवेदन को निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के दादा श्री कौरसिंह के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 84/72 जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर से जारी है, जिस पर 12 बोर बंदूक दर्ज है, जो दिनांक 31.08.2018 तक नवीनीकृत है। अपीलांट ने अपने दादा के उक्त शस्त्र लाईसेंस को अपने नाम जारी करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 12.01.2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 1936 दिनांक 16.05.2017 को प्रेषित की। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2017 पारित कर अपीलांट के आवेदन पत्र दिनांक 12.01.2017 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से अतिरिक्त अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गयी। अपील का निस्तारण में गुणागुण किया जाता है।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के दादा श्री कौरसिंह के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 64/72 जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर से जारी है, जिस पर 12 बोर बंदूक दर्ज है, जो दिनांक 31.08.2018 तक नवीनीकृत है। अपीलांट के दादा के वृद्ध होने के कारण शस्त्र रख-रखाव में असमर्थ होने से अपीलांट ने दिनांक 12.01.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र को अपीलांट के नाम दर्ज करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र के संबंध में वांछित जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट में में दर्शाया कि अपीलांट पर एक आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें अपीलांट को न्यायालय से दोष मुक्त किया जा चुका है। आवेदक के आवेदन फार्म में खतरों का आकलन में पुलिस अधीक्षक ने "कोई खतरा नहीं है" की टिप्पणी की हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने शस्त्र नियम 2016 के नियम 10 व 12 के समस्त उपनियमों की पूर्ति नहीं करता के आधार पर अपीलांट के आवेदन को खारिज कर दिया, किंतु इन उपनियमों में कहीं पर भी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने या उसका परफॉर्मा के बारे में नहीं बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय का अपीलाधीन आदेश शस्त्र नियम 2016 के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

5. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने अपना कारोबार खेती बताया है, परंतु ऐसा कोई कारण नहीं बताया कि उसकी जान माल अथवा संपत्ति को किसी प्रकार से खतरा हो और जिसके कारण उसे शस्त्र की आवश्यकता हो। अपीलांट का प्रार्थना पत्र आर्म्स रूल्स 2016 के नियम 10 एवं 12 के समस्त उपनियमों की पूर्ति ही नहीं करता है। अपीलांट ने आवेदन के साथ प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। इसप्रकार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश न्यायोचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुए अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट के आवेदन पत्र को खारिज कर दिया। अपीलाधीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलांट के दादा के नाम से जारी था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक के आर्म्स रूल्स 2016 के नियम 10 एवं 12 के समस्त उपनियमों की पूर्ति नहीं करने व प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अपने आदेश दिनांक 19.06.2017 द्वारा निरस्त कर दिया, ऐसी स्थिति में अपीलांट के दादा के नाम से जारी उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र अपीलांट के नाम जारी किया जाना उचित नहीं है। हम अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2017 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

7. तदानुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय दिनांक 21.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/5/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर